2016/00493 सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

220/22 हनुमान सहाय बनाम जगदीश

क्रम संख्या	दिनांक आदेश व कार्यवाही	
	9/9/2022	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता हाजिर। प्रतिवादी अधिवक्ता हाजिर। वादी अधिवक्ता की ओर से संशोधित जवाब पेश किया गया जो शामिल मिसल रहे। पूर्व संशोधित पक्षकारों की आपत्ति पूर्व में सुनी गई। नवीन संशोधित पक्षकार प्रतिवादी संख्या-(12) के अधिवक्ता ने आपत्ति पेश करने हेतु अवसर चाहा। न्यायहित में एक अवसर दिया जाता है। पुनः दिनांक 13/09/2022 को पेश हो। [signature]
	13/9/2022	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता हाजिर। प्रतिवादी अधिवक्ता हाजिर। प्रतिवादी संख्या-12 ने मौखिक आपत्ति की है कि प्रतिवादी संख्या-12 नवीन पक्षकार संशोधित किया गया है जिसका प्रस्ताव पूर्व में प्राप्त हो चुके हैं जिसमें प्रार्थीया/प्रतिवादिया-(12) का हिस्सा पृथक नहीं किया गया है। अन्य पक्षकारों की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। [signature] सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

2016/07493

सहायक कलक्टर ... [illegible]

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	21/12 हनुमान ... [illegible] जगदीश	टिप्पणी निर्देश

प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 की ओर से आपत्ति पेश की गई है कि तहसीलदार पटवारी द्वारा मौके पर आश्रित लोगों को कोई नोटिस जारी नहीं किये गये हैं एवं विभाजन प्रस्ताव सरल-तरल के आधार पर तैयार नहीं किये गये हैं।

प्रतिवादी संख्या 12 की मौखिक आपत्ति पर वकील पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का बगौर अवलोकन करने एवं वकील पक्षकारान को सुनने के पश्चात उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादी सं. 12 ने पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र वाद पत्र में प्रारम्भिक डिक्री जारी होने एवं तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद पेश किया है तथा न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री को चुनौती का कोई साक्ष्य प्रस्तुत भी पेश नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो कि प्रतिवादी सं. 12 ने न्यायालय की प्रा. डिक्री को चुनौती दी हो। प्रतिवादी सं. 1 ने प्रार्थिया (प्रतिवादी सं. 12) को जो भूमि उपहार पत्र के माध्यम से हस्तान्तरण की है वह दावा दायरी के दौरान ही की है दावा अंतिम निर्णय होने के स्तर पर है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं. 12 द्वारा की गयी आपत्ति को स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर ... [illegible]

2014/00453

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	220/14 आज्ञा विरुद्ध [illegible] बनाम जगदीश
		प्रतिवादी सं. 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति कोटेशन रिपोर्ट पर व वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं वकील पक्षकारान द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर की गयी बहस पर मनन करने एवं तहसीलदार बस्सी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रथम व द्वितीय का अवलोकन करने के पश्चात वाद ग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार बस्सी को विभाजन प्रस्ताव के आदेश से पूर्व सभी पक्षकारों को न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव बनाते समय उपस्थित रहने हेतु सूचित किया गया था एवं तहसीलदार बस्सी द्वारा भी विभाजन प्रस्ताव पर नोट अंकित किया गया है कि विभाजन प्रस्ताव सभी पक्षकारों की उपस्थिति में [illegible] के आधार पर बनाये गये हैं एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से मना किया है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने आपत्ति प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी यह दर्शित नहीं किया कि आपत्ति तहसीलदार बस्सी द्वारा भेजे गये विभाजन प्रस्ताव प्रथम पर की है या विभाजन प्रस्ताव द्वितीय पर की है स्पष्ट नहीं किया है। प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र मात्र प्रकरण को देरी करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है।

2016/00438

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	210/11 [illegible] जगदीश	टिप्पणी [illegible]
	ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं. 2 व 3 के द्वारा प्रस्तुत परन्तु आपत्ति कुंजात को खोलना किया जाना उचित नहीं है। तहसीलदार बस्सी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रथम व विभाजन प्रस्ताव द्वितीय का अवलोकन किया विभाजन प्रस्ताव प्रथम में बने कुंजात का मौका एवं बाउण्ड्री के आधार पर एवं विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना की गयी है तथा सभी खातेदारों के आने जाने के रास्ते को ध्यान में रखा गया है एवं सभी खातेदारों एक जगह एवं बड़ा एवं सभी खातेदारों एक जगह एवं बड़ा रकबा दिया गया है। तथा विभाजन प्रस्ताव द्वितीय प्राप्त कुंजात में विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। सभी खातेदारों के आने जाने के रास्ते को भी ध्यान में नहीं रखा गया है एवं सभी खातेदारों को एक जगह भूमि ना देकर छोटे छोटे टुकड़ों में भूमि दी गयी है पत्रावली का एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का कंपोर्ट अवलोकन एवं वकील वादी सं. 12 व वकील प्रतिवादी सं. 2 व 3 के द्वारा की गयी आपत्ति प्रतिवादी सं. 2 व 3 के द्वारा की गयी आपत्ति एवं कुंजात रिपोर्ट पर बहस सुनने एवं तहसीलदार बस्सी द्वारा भेजे गये विभाजन प्रस्ताव प्रथम व द्वितीय का अवलोकन करने के पश्चात वादग्रस्त भूमि के	

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

2016/00453

सहायक कलक्टर ... जयपुर

क्रम संख्या	दिनांक आदेश व कार्यवाही	220/12 हनुमान सहाय बनाम जगदीश
		प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 व 3 द्वारा की गयी आपत्तियां कि ये अनुसूचि के होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा तहसीलदार बस्सी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रथम में वाद ग्रस्त भूमि का विभाजन सभी पक्षकारों की उपस्थिति में सरस नजर के आधार पर एवं सभी को एक जाई भूमि देते व विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना को ध्यान रखा जाने एवं विभाजन प्रस्ताव द्वितीय में खातेदारों को वाद ग्रस्त भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में आने जाने के कारण को भी ध्यान में नहीं रखकर एवं विभाजन के नियम 18 से 21 की भी पूर्ण पालना न होने से तहसीलदार बस्सी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रथम के अनुसार वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी ख.नं. 62 रकबा 0.0506 है., 63 रकबा 0.4552 है., 64 रकबा 0.6449 हैक्टे. 64/1 रकबा 0.2276 हैक्टे. 64/10 रकबा 0.4552 हैक्टे. 64/11 रकबा 0.2529 हैक्टे. 64/12 रकबा 0.3035 हैक्टे. 64/13 रकबा 0.3541 हैक्टे. 64/14 रकबा 0.4805 हैक्टे. 64/15 रकबा 0.0126 हैक्टे. 64/16 रकबा 0.4932 हैक्टे. 64/17 रकबा 0.6829 हैक्टे. 64/18 रकबा 0.7334 हैक्टे. 64/2 रकबा 1.3024 हैक्टे. 64/20 रकबा 0.2150 हैक्टे, 64/3 रकबा 0.6702 हैक्टे. 64/4 रकबा 0.8346 हैक्टे. 64/5 रकबा 1.5174 हैक्टे [signature]

2016/00493

क्रम संख्या | दिनांक आदेश या कार्यवाही | सहायक कलक्टर [illegible] जयपुर | विशेष विवरण

22.6/14 [illegible] जारी है

64/6 रकबा 0.4685 हैक्टे., 64/4 रकबा 0.5870 हैक्टे.
64/2 रकबा 0.5371 हैक्टे. 64/9 रकबा 0.2408 हैक्टे.
66 रकबा 0.1897 हैक्टे., 66/1 रकबा 0.2151 हैक्टे.
69 रकबा 0.5917 हैक्टे. 69/1 रकबा 0.1170 हैक्टे.
85 रकबा 0.1138 हैक्टे. 86 रकबा 0.0571 हैक्टे.
कुल किता 20 कुल रकबा 12.8784 हैक्टेयर
स्थित ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का पाड़ासोली तहसील
ख.नं. 64/19 रकबा 0.5125 हैक्टे. स्थित ग्राम किशनपुरा
तहसील [illegible] जिला जयपुर में से ख.नं.
69 रकबा 0.3796 हैक्टे., 64/16/1 रकबा
0.0600 हैक्टे. 64/10 रकबा 0.4552 हैक्टे.
64/9 रकबा 0.2410 हैक्टे. 64/8 रकबा 0.5067
हैक्टे. 64/7 रकबा 0.5330 हैक्टे. 64/21 रकबा
0.0681 हैक्टे. 64/41 रकबा 0.4380 हैक्टे.
64/3 रकबा 0.5820 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल
रकबा 3.1616 हैक्टे. को प्रति खातेदार
केलाश पुत्र पोन्नूराम हि. 1/4 रहित IDBI
शाखा वैशालीनगर, काबूलाल पुत्र पोन्नूराम
हि. 1/4 रहित SBBJ (SBI) शाखा कालवाड़
भगवान सहाय पुत्र पोन्नूराम हि. 1/4 [illegible]
रामूलाल पुत्र पोन्नूराम हि. 1/4 (हि. 545/31616)
रहित SBBJ (SBI) शाखा [illegible]
[illegible] हि. [illegible] के हिस्से में रखी
तथा ख.नं. 66 रकबा 0.1897 हैक्टे. 64/14
रकबा 0.2260 हैक्टे. 64/14/2 रकबा 0.2260
हैक्टे., 64/15 रकबा 0.0126 हैक्टे. 64/11 रकबा
0.2529 हैक्टे. 64/12 रकबा 0.3035 हैक्टे.
64/13 रकबा 0.3541 हैक्टे. 64 रकबा 0.5768 हैक्टे.
64/2 रकबा 0.2271 हैक्टे. 64/2 रकबा 0.7924
64/1 रकबा [illegible] हैक्टे.
हैक्टे., कुल किता 10 कुल रकबा 3.1616 हैक्टे.

[illegible signature]

सहायक कलक्टर [illegible] जयपुर
[illegible]

2014/00493

क्रम संख्या	दिनांक आदेश व कार्यवाही	
		श्रीमान हनुमान/मांगीलाल बनाम जगदीश की भूमि खातेदार हनुमान पुत्र मु. कजोड़ हि. 1/2 सियाराम पुत्र चौथमल हि. 1/2 रहित S.B.I शाखा बामनवास. जाति ग्रा. सा. 1/2 के हिस्से में रहेगी। तथा ख. नं. 69/2 रकबा 0.2796 हैक्टे. 69/1 रकबा 0.1770 हैक्टे. 64/16 रकबा 0.4332 हैक्टे., 64/17 रकबा 0.6828 हैक्टे., 64/18 रकबा 0.7334 हैक्टे. 64/19 रकबा 0.8040 हैक्टे. 64/20 रकबा 0.1814 हैक्टे. 66/1 रकबा 0.2150 हैक्टे. 64/5 रकबा 1.5174 हैक्टे. 64/6 रकबा 0.4145 हैक्टे. 64/4 रकबा 0.7866 हैक्टे. 64/3/2 रकबा 0.0378 हैक्टे कुल किता 12 कुल रकबा 6.2627 हैक्टेयर की भूमि खातेदार जगदीश पुत्र मोटया जगदीश पुत्र मु. हरका हि. 21077/62627 किता रहत भंवरा पुत्र मोटया हि. 20473/62627 रहित B.O.B. शाखा मोहनपुर रमेश पुत्र मोटया हि. 21077/62627 जाति ग्रा. सा. 1/2 के हिस्से में रहेगी तथा ख. नं. 64/19/2 रकबा 0.0605 हैक्टेयर की भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय काहनों की ढाणी किशनपुरा (मंजूरी के लिए) के हिस्से में रहेगी तथा ख. नं. 62 रकबा 0.0506 हैक्टे., 63 रकबा 0.4552 हैक्टे. 85 रकबा 0.1138 हैक्टे., 86 रकबा 0.0379 हैक्टे. 64/2/2 रकबा 0.0720 हैक्टे. 64/3/1 रकबा

सहायक कलक्टर

फर्द अहकाम 2016/00483

न्यायालय

हनुमान बनाम जानकी

मुकदमा संख्या /वर्ष : 220/202

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		0.0504 हैक्टे., 64/5/1 रकबा 0.0480 हैक्टे. 64/6/1, रकबा 0.0660 हैक्टे. 64/7/1, रकबा 0.0760 हैक्टे. 64/8/1, रकबा 0.0264 हैक्टे. 64/9/1, रकबा 0.0478 हैक्टे., 64/20/1 रकबा 0.0336 हैक्टे., 64/11/1, रकबा 0.0080 हैक्टे., 69/3, रकबा 0.0225 हैक्टे. 64/14/1, रकबा 0.0285 हैक्टेयर कुल किता 15 कुल रकबा 1.0987 हैक्टेयर की भूमि शामिलाती बदस्तूर जमाबंदी अनुसार रहेगी।	
		प्रतिवादी संख्या 12 अब वाद ग्रस्त भूमि का 1/12 हिस्से का सह खातेदार हो गया है ऐसी स्थिति में वाद ग्रस्त भूमि में से उपहारपत्र में दर्शित भूमि जो प्रतिवादी सं. 1 से उपहारपत्र के माध्यम से प्राप्त हुई है उसमा प्रतिवादी सं. 1 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 12 के नाम 1/12 हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड अपडेट करें तत्पश्चात उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरआमद करने के तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है। कु. रोजनात व नक्शे कार्द अनुमोदन तहसीलदार बस्सी को भेजे जावे।	
		(हस्ताक्षर)	

सहायक कलक्टर एवं जिला जयपुर

2016/00493

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	270/11 हनुमान बनाम जगदीश आज्ञा विस्तृत रूप से
		डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। आज दिनांक 13.9.22 को यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर बस्सी जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इकतर्फा
(ओ.20 रूल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी शिवचरण शर्मा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

वादी

1. हनुमान शर्मा दत्तक पुत्र कजोड जाति हरियाणा ब्राम्हण निवासी ग्राम किशनपुरा (पडासोली) तहसील बस्सी जिला जयपुर।

बनाम

प्रतिवादी

1. जगदीश पुत्र भौरया पि.मु. हरला
2. श्रवण पुत्र भौरया
3. रमेश पुत्र भौरया
4. बाबूलाल पुत्र पांचूराम
5. भगवान सहाय पुत्र पांचूराम
6. रामूलाल पुत्र पांचूराम
7. कैलाश चन्द पुत्र पांचूराम
8. सियाराम पुत्र चौथ्या उर्फ चौथूराम समस्त जाति हरि. ब्राम्हण निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
9. राजकीय प्राथमिक विद्यालय ब्राम्हणो की ढाणी किशनपुरा जरिये खण्ड शिक्षा अधिकारी बस्सी जिला जयपुर।
10. उपपंजीयक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर।
12. सुशीला देवी पत्नि जगदीशप्रसाद जाति हरि. ब्रा. निवासी ग्राम किशनपुरा तह. बस्सी जि. जयपुर

दावा बाबत विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा न0 नये 220/2022 पुराने (355/2016) (104/2019)

निर्णय दिनांक 13.09.2022

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा न. 62 रकबा 0.0506 हेक्टयर, खसरा न. 63 रकबा 0.4552 हेक्टेयर, खसरा न. 64 रकबा 0.6449 हेक्टेयर, खसरा न. 64/1 रकबा 0.2276 हेक्टेयर, खसरा न. 64/10 रकबा 0.4552 हेक्टेयर, खसरा न. 64/11 रकबा 0.2529 हेक्टेयर, खसरा न. 64/12 रकबा 0.3035 हेक्टेयर, खसरा न. 64/13 रकबा 0.3541 हेक्टेयर, खसरा न. 64/14 रकबा 0.4805 हेक्टेयर, खसरा न. 64/15 रकबा 0.0126 हेक्टेयर, खसरा न. 64/16 रकबा 0.4932 हेक्टेयर, खसरा न. 64/17 रकबा 0.6828 हेक्टेयर, खसरा न. 64/18 रकबा 0.7334 हेक्टेयर, खसरा न. 64/2 रकबा 1.3024 हेक्टेयर, खसरा न. 64/20 रकबा 0.2150 हेक्टेयर, खसरा न. 64/3 रकबा 0.6702 हेक्टेयर, खसरा न. 64/4

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

रकबा 0.8346 हेक्टेयर, खसरा नं. 64/5 रकबा 1.5174 हेक्टेयर, खसरा नं. 64/6 रकबा 0.4805 हेक्टेयर, खसरा नं. 64/7 रकबा 0.5600 हेक्टेयर, खसरा न. 64/8 रकबा 0.5311 हेक्टेयर, खसरा न. 64/9 रकबा 0.2509 हेक्टेयर, खसरा न. 66 रकबा 0.1897 हेक्टेयर, खसरा नं. 66/1 रकबा 0.2150 हेक्टेयर, खसरा न. 69 रकबा 0.5817 हेक्टेयर, खसरा नं. 69/1 रकबा 0.1770 हेक्टेयर, खसरा न. 85 रकबा 0.1138 हेक्टेयर, खसरा नं. 86 रकबा 0.0379 हेक्टेयर कुल किता 28 कुल रकबा 12.8726 हेक्टेयर तथा खसरा नं 64/19 रकबा 0.8725 हेक्टेयर स्थित ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का पडासोली तहसील बस्सी जिला जयपुर में से 69 रकबा 0.2796 हेक्ट, 64/16/1 रकबा 0.0600 हेक्ट, 64/10 रकबा 0.4552 हेक्ट, 64/9 रकबा 0.2410 हेक्ट, 64/8 रकबा 0.5047 हेक्ट, 64/7 रकबा 0.5330 हेक्ट, 64/21 रकबा 0.0681 हेक्ट, 64/2/1 रकबा 0.4380 हेक्ट, 64/3 रकबा 0.5820 हेक्ट कुल किता 9 कुल रकबा 3.1616 हेक्ट की भूमि खातेदार कैलाश पुत्र पांचूराम हिस्सा 1/4 राहिन IDBI शाखा वैशाली नगर बाबुलाल पुत्र पांचूराम हिस्सा 1/4 राहिन SBBJ (SBI) शाखा बस्सी भगवानसहाय पुत्र पांचूराम हिस्सा 1/4 बिना रहन रामूलाल पुत्र पांचूराम हिस्सा 1/4 (हिस्सा 545/31616) राहिन SBBJ (SBI) शाखा जमवारामगढ़ जाति ब्राह. सा.देह के हिस्से में रहेगी तथा खसरा नंबर 66 रकबा 0.1897 हेक्टेयर, 64/14 रकबा 0.2260 हेक्टेयर, 64/14/2 रकबा 0.2260 हेक्टेयर, 64/15 रकबा 0.0126 हेक्टेयर, 64/11 रकबा 0.2529 हेक्टेयर, 64/12 रकबा 0.3035 हेक्टेयर, 64/13 रकबा 0.3541 हेक्टेयर, 64 रकबा 0.5768 हेक्टेयर, 64/1 रकबा 0.2276 हेक्टेयर, 64/2 रकबा 07924 हेक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 3.1616 हेक्टेयर की भूमि खातेदार हनुमान पुत्र मु. कजोड़ हिस्सा 1/2 सियाराम पुत्र चोथूराम हिस्सा 1/2 राहिन SBI शाखा बस्सी मूर्त जाति ब्रा. सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा खसरा नंबर 69/2 रकबा 0.2796 हेक्टेयर, 69/1 रकबा 0.1770 हेक्टेयर, 64/16 रकबा 0.4332 हेक्टेयर, 64/17 रकबा 0.6828 हेक्टेयर, 64/18 रकबा 0.7334 हेक्टेयर, 64/19 रकबा 0.8040 हेक्टेयर, 64/20 रकबा 0.1814 हेक्टेयर, 66/1 रकबा 0.2150 हेक्टेयर, 64/5 रकबा 1.5174 हेक्टेयर, 64/6 रकबा 0.4145 हेक्टेयर, 64/4 रकबा 0.7866 हेक्टेयर, 64/3/2 रकबा 0.0378 हेक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 6.2627 हेक्टेयर की भूमि खातेदार जगदीश पुत्र भौरया जगदीश पुत्र मु. हरला हिस्सा 21077/62627 बिना रहन श्रवण पुत्र भोरया हिस्सा 20473/62627 राहिन BOB शाखा मोहनपुरा रमेश पुत्र भौरया हिस्सा 21077/62627 जाति ब्रा. सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा खसरा नंबर 64/19/2 रकबा 0.0605 हेक्टेयर की भूमि खातेदार राजकीय प्राथमिक विद्यालय ब्राह्मणों की ढाणी किशनपुरा (संस्था के लिए) के हिस्से में रहेगी तथा खसरा नंबर 62 रकबा 0.0506 हेक्टेयर, 63 रकबा 0.4552 हेक्टेयर, 85 रकबा 0.1138 हेक्टेयर, 86 रकबा 0.0379 हेक्टेयर, 64/2/2 रकबा 0.0720 हेक्टेयर, 64/3/1 रकबा 0.0504 हेक्टेयर, 64/4/1 रकबा 0.0480 हेक्टेयर, 64/6/.1 रकबा 0.0660 हेक्टेयर, 64/7/1 रकबा 0.0360 हेक्टेयर,

Scanned with OKEN Scanner

64/8/1 रकबा 0.0264 हेक्टेयर, 64/9/1 रकबा 0.0498 हेक्टेयर, 64/20/1 रकबा 0.0336 हेक्टेयर 64/19/1 रकबा 0.0080 हेक्टेयर, 69/3 रकबा 0.0225 हेक्टेयर, 64/14/1 रकबा 0.0285 हेक्टेयर कुल किता 15 कुल रकबा 1.0987 हेक्टेयर की भूमि शामलाती बदस्तूर जमाबंदी अनुसार रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 12 उक्त वादग्रस्त भूमि का 1/12 हिस्से का सह खातेदार हो गया है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि में से उपहार पत्र में दर्शित भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 से उपहार पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई है उसका प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 12 के नाम 1/12 हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड अपडेट करें तत्पश्चात उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है। कुरेजात व नक्शे वाद अनुमोदन भेजे जावे। ....निजी................. मुवलिक.................बावत.................खर्चा...................इस मुकददमें का मय सूद वगैरह.............फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक...................को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 13.09.2022 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तख्त.................................

ओहदा.................................

मुददई	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प		
स्टाम्प वहत सबूत			बकालतनामा		
महन्ता वकील			स्टाम्प वहत सबूत		
खर्चा गवाहन			महन्ता वकील		
फीस कमिश्नर			खर्चा गवाहन		
बबत इजराय			फीस कमिश्नर		
हुक्मनामा			बाबत इजराय		
मुतफरिक			हुक्मनामा		
मीजान			मुतफरिक		
			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner